भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

NOTARIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

46AA 503526

NOTARY R. C. PARASHAR ADVOCATE BHOPAL CIVIL DISTT.

"प्रारूप 26

(नियम 4 क देखिए)

....मध्यप्रदेश.. निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

....राज्य सभा....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग – क

मैं, ...दिग्विजय सिंह..... **पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ ....श्री बलभद्र सिंह..... आयु .....66...... वर्ष जो .....मकान न0 25, किला आबादी वार्ड 6 तहसील राघौगढ़, जिला –गुना (म.प्र.) पिन न0 473226............ (डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/~~करती हूं~~, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती हूं~~ :–

(1) मैं ....इण्डियन नेशनल काँग्रेस.......... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**~~एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूं ।

**(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 031 राघौगढ़ (सामान्य) मध्य प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या ...69... के क्रम सं ....201.... पर प्रविष्ट हैं।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 07544–262221 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) vijayasingh28@yahoo.com हैं। मेरा फेसबुक एकाउन्ट एवं टिवटर एकाउन्ट @digvijaya_28 है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरण फाइल करने की प्रास्थिति :

कम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं– दिग्विजय सिंह	AKDPS3364G	वित्तीय वर्ष 2012–13 आयकर वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया हैं :	दर्शाई गई सकल आय रू 725922/– दर्शाई गई कर योग आय रू 681872/–
2.	~~पति या~~ पत्नी स्व. आशा देवी	ACDPS6568C	वित्तीय वर्ष 2012–13 आयकर वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया हैं :	दर्शाई गई सकल आय रू 344076/– दर्शाई गई कर योग आय रू 334076/–
3.	आश्रित–1	कोई नही	कोई नही	कोई नही
4.	आश्रित–2	कोई नही	कोई नही	कोई नही
5.	आश्रित–3.......	कोई नही	कोई नही	कोई नही

(5) मै ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/~~की~~ अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/~~किए गए हैं।~~

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधो) का/~~की~~ अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/~~करेगी~~ :–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित हैं जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया हैं/~~किए गए हैं।~~

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	प्र.क्रं.1 प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रं. 238/11 पुलिस थाना जीवाजी गंज उज्जैन (म.प्र.) प्र.क्रं.2 लागू नहीं क्योंकि निजी परिवाद पर संस्थित किया गया है।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया हैं	प्र.क्रं.1 धारा 326/34, 323/34, 324/34, भादवि प्र.क्रं.2 धारा 500 भादवि मानहानि का प्रकरण है।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	प्र.क्रं.1 न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन प्रकरण क्रं. 1/12 सत्रवाद संज्ञान लेने के आदेश की तारीख 09/11/2012

NOTARY R. C. PARASHAR ADVOCATE BHOPAL CIVIL DISTT.

		प्र.क्रं.2 न्यायालय जेएमएफसी भोपाल में प्र.क्रं.950/04 ई.फौ. दिनांक 24.11.2003 को संज्ञान लिया गया
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	प्र.क्रं.1 न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन द्वारा आरोपों की विरचना की गई है। प्र.क्रं.2 आरोप विरचित करने वाले न्यायालय का नाम न्यायालय जेएमएफसी भोपाल।
(ड़)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	प्र.क्रं.1 दिनांक 28/10/13 को आरोप विरचित किये गये। प्र.क्रं.2 दिनांक ✗ को आरोप विरचित नहीं किये गये।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	प्र.क्रं.1 : नहीं प्र.क्रं.2 : नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हैं [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	प्र.क्रं.1 न्यायालय जेएमएफसी धर्मपुरी जिला धार प्र.क्रं. 404/06 दिनांक 26.06. 2006 को संज्ञान लिया गया। प्र.क्रं.2 न्यायालय श्रीमती गोमती मनोचा मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली प्रकरण क 64/1/13 दिनांक 17/02/2012 को संज्ञान हुआ।
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	प्र.क्रं.1 धारा 147, 149, 341 भादवि अवैध समूह के साथ रास्ता रोकने का आक्षेप है। प्र.क्रं.2 धारा 500 भादवि मानहानि करने का आक्षेप है।